कृषि का, खाद्यान्न का क्षेत्र कम होता जा रहा है, क्या यह बात सच है?

डा० जगन्नाथ मिश्र: थोड़ी बहुत मर्जिनल गिरावट की सूचना तो है, परन्तु हमारे खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारा उत्पादन नई खोज के आधार पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जहां तक फल और सब्जी की खेती का सवाल है, यह बात सही है कि किसानों की नई प्रवृत्ति व्यवसायीकरण की, कामर्शियलाइजेशन की है, इसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी दे रहे है। हार्टीकिल्चर की खेती के लिए जहां सातवीं योजना में केवल 24 करोड़ रुपये का प्रबंध था वहीं आठवीं योजना में हमने एक हजार करोड़ रुपये का प्रबंध किया है, खासतौर से किसानों की मदद के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार जागरूक है कि हमार खाद्यान्न के उत्पादन के ऊपर इसका असर न पड़े। खाद्यान्न की जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हम करते रहेंगे, लेकिन किसान अगर धन कमाना चाहते हैं नई खेती की प्रवत्ति से या कामर्शियलाईजेशन एग्रीकल्चर की प्रवृत्ति से तो उसको रोकना भी राष्ट्र हित में किसानों के लिए उचित नहीं होगा।

बंजर-भूमि विकास कार्यक्रम

*64. **श्री अजीत जोगी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बंजर-भूमि विकास कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितने एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया;

(ग) राज्य-वार कब तक सम्पूर्ण बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्यों की बंजर-भूमि विकास संबंधी कोई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय बंजर भूमि विकास विभाग में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता है।

विवरण

(क) जी हां

(ख) बंजरभूमि विकास विभाग का सृजन जुलाई, 1992 में किया गया और इसे ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसे वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि विकास के उतरदायित्व के साथ बंजरभूमि विकास विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया। यह अवक्रतिम भूमि की रोकथाम, देश में ऐसी भूमि को सतत् उपयोग में लाने तथा बायोमास की उपलब्धता विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे में वृद्धि करने पर जोर देगा। बंजरभूमि अवक्रमित भूमि है जिसका इस समय उपयोग किया जाता हों और जो उचित जल तथा मृदा प्रबंध या प्राकृतिक कारणों की कमी के कारण विकृत होती जा रही है अतः विकास के प्रथम चरण में ऐसी भूमि पर कृषि गतिविधियां सामान्य तौर पर सम्भव नहीं है। बंजर भूमि विकास विभाग को बंजरभूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने ने बजाय बंज़र भूमि को विकास करने का काम सौंपा गया है। बंजरभूमि विकास विभाग निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम

(2) अनुदान सहायता योजना

(3) प्रौद्योगिकी विस्तार, विकास एवं प्रशिक्षण योजना

(4) बंजरभूमि विकास कार्य दल

(5) निवेश संवर्धन योजनाइन योजनाओं में शामिल मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:—

(1) मृदा एवं नमी संरक्षण

(2) ब्लाक वृक्षारोपण सहित वृक्षारोपण

(3) बागवानी सहित कृषि-वाणिकी

(4) चारा विकास

(5) जागरूकता पैदा करना

ये गितिविधियां सामान्य तौर पर सामुदायिक तथा निजी बंजरभूमि दोनों पर वाटर शेड आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) जैसा कि भाग(ख) में बताया गया है कि बंजरभूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना विभाग का कार्य नहीं है।

(घ) जी हां,

(ड़) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत बंजरभूमि विकास योजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं। अनुदान सहायता के अंतर्गत परियोजनाएं स्वयं सेवी एजेंसियों द्वार सीधे राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को विचार के लिए भेज दी जाती है। निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत बोर्ड को योजनाएं निगमित क्षेत्र/व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा सीधे भेज दी जाती हैं।

राज्यों की सूची जहां से अभी तक परियोजनाएं प्राप्त हुई है और समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत लम्बित पड़ी है। संलग्न विवरण-1 में दी गई है (नीचे देखिए) ये परियोजनाएं परियोजना की व्यवहार्यता, मार्गदर्शिकाओं से इसकी प्रामाणिकता तथा विभाग से बजट की उलब्धता के आधार पर विचार के लिए ली जाएगी।

विवरण-I

क्रमांक	राज्य का नाम	1.2.96 तक लम्बित परियोजनाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	कर्नाटक	1
8.	मध्य प्रदेश	5
9.	महाराष्ट्र	1
10.	मणिपुर	1
11.	नागालैंड	3
12.	उड़ीसा	2
13.	पंजाब	3
14.	राजस्थान	2
15.	सिक्किम	2
16.	तमिलनाडु	11
17.	उत्तर प्रदेश	20
		66

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, मैं पहला प्रश्न तीन हिस्सों में पूछना चाहता हूं। जैसा मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि जितनी बंजर भूमि है, उसके विकास के लिए जितनी राशि के आबंटन की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं है, अपर्याप्त है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पैसे की कमी को देखते हुए निजी क्षेत्र को बंजर भूमि के विकास में राशि लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात सोच रही है? अगर सोच रही है तो प्राईवेट सैक्टर किस तरह से, निजी क्षेत्र किस तरह से बंजर भूमि के विकास के लिए राशि लगाये? उसका कुछ विवरण मंत्री महोदय दें।

दूसरे भाग में मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में जितनी बंजर भूमि है, उसके विकास के लिए क्या आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है कि इतने वर्ष के अन्दर, दस, पन्द्रह, बीस वर्ष के अन्दर प्रति वर्ष इतनी बंजर भूमि का विकास करेंगे, जिससे कि एक टाइम फ्रेम में समय सीमा में इस पूरी बंजर भूमि का विकास हो सके?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वन भूमि वनों की भूमि है और वनोत्तर भी है। आपका विभाग केवल वनोत्तर भूमि से संबंधित है, क्या दोनों को अलग-अलग कर के कोई कार्यक्रम बनाया जा सकता है? क्या शासन का यह विचार है कि जितनी भी बंजर भूमि है चाहे वह वनों की हो या वनोत्तर हो, उसको एक ही एजेन्सी के अन्तर्गत लाकर के उसके लिए कार्य किया जाएगा? इन तीनों हिस्सों में कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

COL. RAM SINGH: Mr. Chairman, Sir, there is constraint of funds. There is

no doubt about it. Under the constraints being forced by finance, guidelines have been laid down as to what quantum of wasteland can be reclaimed from the funds that are made available. As far as mobilising other resources is concerned, we have got schemes and they are being implemented. Under these schemes, the corporate sector, especially those units of the corporate sector whose raw materials are based on forest produce, is being encouraged to invest in the development of wasteland.

For example, the paper industry, the pulp industry and the match industry are encouraged to do plantation. For that, the scheme roughly is that the Department of Wasteland Development gives 25% subsidy. The other schemes are hundred per cent grants. But in this scheme, the Department gives a subsidy of 25%. The NABARD or other nationalised banks advance 50% as loan. The corporate sector puts in a seed-money of 25%. This scheme is picking up gradually. The main constraint is that the gestation period of any afforestation programme is very long drawn out. There are ceiling laws and, therefore, the corporate sector is at present a bit hesitant. But, in this last year, we have received about a dozen proposals under the scheme and, I think, three or four are already being implemented. We would like suggestions from the hon. Members as to how we can further generate funds for development of wastelands from private agencies. Such proposals would be most welcome.

My friend, Shri Ajit P.K. Jogi, had put a very long question. The next part of his question was about the Master Plan. Last year we appointed a high-level committee under the chairmanship of one of our experts in this subject, Shri Mohan Dharia, who was also the Deputy Chairman of the Planning Commission in the last Government. That high-level committee was appointed to go into the question of perspective planning and give suggestions as to how funds can be generated further. The high-level committee did an excellent work. They submitted their report about three months back. The report has been examined and also presented to the Prime Minister. Now, there is 130 million hectares of wasteland in the country including the forest wasteland. Unless one knows how much funds will be made available, it is not possible to lay down any time-frame in which....*(Interruptions)*

SHRI AJIT P.K. JOGI: Since you are referring to the Dharia Committee, I would like to point out that the Dharia Committee itself has recommended a 15-years' time-frame at the rate of 12 million hectares per year.

DR. BAPU KALDATE: Sir, they are having a personal discussion with each other. Can they enlighten us also?

COL. RAM SINGH: I think, I am speaking loudly enough for you to hear, Bapu saheb. It is quite right that the Mohan Dharia Committee had recommended a 15-years' time-frame, but where are the funds available to implement the scheme in 15 years to recover 130 million hectares of wasteland? The funds are just not available. So, it would be very difficult for anyone to give a commitment as to the time-frame in which all these 130 million hectares of wasteland will be reclaimed. As the funds are made available, the norms lay that to reclaim one hectare of wasteland, so much of funds are required and that is the way we are proceeding.

The third point, Mr. Chairman, Sir, was that the hon. Member has suggested that the Department for Reclamation of Forest Wasteland and the Department for Reclamation of Non-Forest Wasteland should be combined and they should be brought under one department. Well, this is a policy matter on which, I am afraid, I

am really not in a position to comment. But, I think, the proposal put forward by the hon. Member has got its merit. There is no doubt about it. It has got some very good points about it. But the amount of wasteland available in the country is such that not only two, but half-a-dozen other departments could also be involved in this and still we will not be able to reclaim this wasteland in 15-years' time. so, I agree that the suggestion is very good. I like that suggestion.

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, मैं अपना दूसरा प्रश्न बहुत छोटा पूछना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। महोदय, मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में बीहड़ है। यदि उनको समतल कर दिया जाए तो एक अध्ययन के अनुसार इतने खाद्यान का उत्पादन हो सकता है, जो पूरे राष्ट्र को पर्याप्त होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा बीहड़ जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, वह चम्बल घाटी के नाम से जाना जाता है, उसको रि-क्लेम करने का, उस बंजर भूमि को ठीक करने का, विकसित करने का कोई मास्टर प्लान या कोई योजना आपने बनाई है? अगर बनाई है तो उसकी कितनी कीमत होगी और क्या उसको स्वीकृति देने के बारे में विचार कर रहे हैं?

COL. RAM SINGH: Mr. Chairman, Sir, regarding reclamation of the Chambal ravines in the districts of Bhind and Morena in Madhya Pradesh, when I was in the Army and happened to be posted in that area, I saw the degradation of that land and that stuck to my mind. Last year, we raised the Wasteland Development Force, on the lines of the Territorial Army. I think about Rs. 2 crores was sanctioned. I may be out of a few lakhs here and there. The Force has been raised; barracks have been built in Morena in the midst of the Chambal ravines. I think the Task Force will be comprising 350 personnel—about 50 JCOs and NCOs from the regular Army and about 300 Ex-servicemen recruited from the districts of Bhind and Monera. They will be engaged in the reclamation of the wasteland. In the first phase, about 1000 hectares of land would be reclaimed.

AN HON. MEMBER: It is not significant.

COL. RAM SINGH: But a start has been made. I think the hon. Member will give me the credit because although I don't belong to Madhya Pradesh, I thought of this and got this Force started. The Force is in position and it has started its work. I would request hon. Member Jogi to visit that area and encourage those people. I would also request him to donate a television set for the Force because it is working in the jungles and if a television set is given to it, it would be a verygood incentive for the Force.

श्री राधाकिशन मालवीय: माननीय सभापति महोदय, श्री अजीत जोगी की जो सैकेन्ड सप्लीमेंट्री है उसकी के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में चम्बल नदी है और चम्बल नदी के बीहड़ काफी विस्तृत फैले हुए जंगल हैं। मध्य प्रदेश डाकू ग्रस्त इलाका है जिसमें डाकू पैदा होते हैं क्योंकि यहां उनके छिपने की जगह है तथा यह बहुत ही उपयोगी भूमि है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और उत्तर प्रदेश का, धोलपुर का, बीच का इलाका है। इस पूरे इलाके में बीहड़ पड़ता है। धोलपुर राजस्थान में आता है। यदि उस जमीन को समतल कर दिया जाए और गरीब लोगों में वितरित की जाए तो पंजाब की भूमि से भी ज्यादा ऊपजाऊ भूमि यह हो सकती है और डाकुओं की संख्या भी कम हो जाएगी। हमारी होम मिनिस्ट्री के दिमाग में जो फितूर रहता है वह भी कम हो जाएगा कि डाकुओं को पकड़ना है। क्या उस जमीन को समतल करने की ओर गरीबों को बांटने की सरकार की कोई योजना है?

डा० जगन्नाथ मिश्र: चेयरमैन सर, जहां तक जमीन के बांटने की योजना है वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है वह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट आफ वेस्टलेंड डवलपमेंट की तरफ से जमीन बांटने की कोई योजना नहीं है।

कर्नल राम सिंह: क्योंकि ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अगर चाहे तो जमीन बांट सकती है या जो भी चाहे कर सकती है। जहां तक भूमि को समतल करने का सवाल है, वेस्ट लैंड डवलपमेंट डिपार्टमेंट में जमीन को समतल करने की कोई योजना नहीं है। इस काम में तो अरबों रुपये लगेंगे। हमारी योजना सिर्फ है कि भिंड और मुरैना की घाटियों में पेड़ और पौधे लगाए जाएं ताकि ईंधन और चारे की पैदावार बढ़ सके और आसपास के गांव वालों को दे सकें। सायल एंड वाटर कंजरवेशन गली प्लगिंग से जगह-जगह पर छोटे-छोटे बांध बांधे जाएं तकि इससे जो जमीन और लैंड का इरोज़न होता है वह बंद हो और स्थिति कुछ सुधरने लगे। लेकिन जमीन को समतल करने का प्रोग्राम नहीं है।

श्री राघवजी: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि पूरे देश में 66 योजनाएं लम्बित है, पेंडिंग है। मध्य प्रदेश की पांच योजनाएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पांच योजनाएं हैं, यह कौन-कौन सी योजनाएं है और यह कब से लम्बित हैं और अभी मध्य प्रदेश में कितनी योजनाओं पर काम चल रहा है?

कर्नल राम सिंह: सभापति जी, मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का इस वक्त जो एस्टीमेट लगाया गया है वह 20 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है। जो स्कीम चल रही है, 14 प्रोजेक्ट हैं विद टोटल आऊट-ले आफ 31 करोड़ और 48400 हेक्टेयर भूमि को डवलप करने के लिए स्कीमे या चल रही हैं या इनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं। सभापति महोदय, यह वेस्ट लैंड डवलपमेंट फोर्स भिंड और मुरैना इसके अलावा है। इसके अलावा पांच प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उनके नाम माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। मैं जिलों का नाम बता सकता हूं। एक प्रोजेक्ट मंदसौर में है, दूसरा प्रोजेक्ट नरसिंहपुर में, तीसरा प्रोजेक्ट भिंड जिले में है, चौथा प्रोजेक्ट शाजापुर में है और पांचवां प्रोजेक्ट देवास में है। इनमें से पहले तीन प्रजेक्ट तो अंडर प्रोसेस हैं हमारे डिपार्टमेंट में और आखिरी दो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजे गये हैं क्योंकि उनमें कुछ कमियां थीं। उनको रिफार्मुलेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा गया है।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: सभापति महोदय, बंजर भूमि विकास के लिए देश के विभिन्न राज्यों की 66 परियोजनाएं लम्बित हैं और स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं इन्होंने जो बताया उससे लगता है कि सरकार इसमें कुछ करने की हालत में नहीं है। 15 सालों से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। 66 परियोजनाएं पड़ी हैं, पांच मध्य प्रदेश में, 2 बिहार में और 20 उत्तर प्रदेश में, कुल मिला कर 66 परियोजनाएं हैं। यह कहते हैं कि वालेंटरी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से करेंगे, कारपोरेट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से करेंगे, वह तो उनकी मर्ज़ी पर है कि वह इनकी सिफारिश को मानें या नहीं मानें। लेकिन सरकार के पास इस संबंध में भूमि को उर्वरा बनाने की कोई योजना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है बंजर भूमि में पेड़ लगाने की योजना है *(व्यवधान)* वह भी नहीं है। विकास करने का मतलब है बंजर भूमि के विकास के लिए हम चाहेंगे कि सरकार भूमि का विकास करे और इन 66 परियोजनाओं के संबंध में कोई ठोस निर्णय ले कर के अपनी ओर से काम करे। मैं यह जानना चाहूंगा कि बिहार में जो दो योजनाएं हैं यह कहां-कहां हैं?

†[श्री जलال الدین انصاری: سبھاپتی مہودے - بنجر جھومی وکاس کیلئے دیش کے وبھن راجیوں کی ۶۶ پری یوجنائیں لمبت ہیں - اور سمویکرتی کیلئے وچار ادھین ہیں - میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں انھوں نے جو بتایا اس سے لگتا ہے کہ سرکار اس میں کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہے - ۱۵ سالوں سے اسمیں کوئی خاص پرگتی نہیں ہوئی ہے - ۶۶ پری یوجنائیں پڑی ہیں - پانچ مدھیہ پردیش میں - دو بہار میں اور بیس اتر پردیش میں کل ملا کر ۶۶ پری یوجنائیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ والینٹری انسٹی ٹیوشن

†[] Transliteration in Arabic Script.

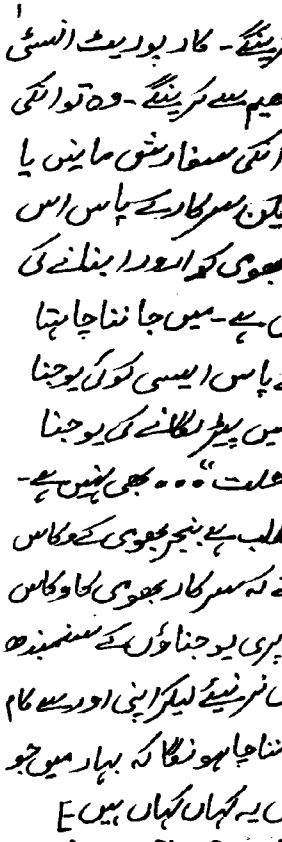

कर्नल राम सिंह: बिहार की दो योजनाएं है एक डिस्ट्रिक्ट रोहतास में और दूसरी डिस्ट्रिक्स गिरडीह में। दोनों स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजी गयी है रीफारमुलेशन के लिए—प्रोजेक्ट में कुछ कमियां थीं। जहां तक 66 प्रोग्राम हैं, जो कहते है 15 साल से पेंडिंग है, 15 साल तो इस डिपार्टमेंट को बने हुए ही नहीं हुए हैं। यह डिपार्टमेंट ही बना था 1991 में इसलिए 15 साल का तो सवाल ही नहीं है। ये 66 प्रजेक्ट साल-डेढ़ साल से पेंडिंग है और साथ साथ अनेकों प्रोजेक्ट सैक्शन भी हो चुके हैं। इन 66 प्रोजेक्ट की पेंडिंग की स्थिति यह है कि इनमें से 21 राज्य सरकारों को वापस भेजे गए हैं रीफारमुलेशन के लिए क्योंकि वे हमारी गाइड लाइन्स के अनुसार नहीं बनाए गए थे। इन 66 में से 17 प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सैक्शन होकर प्रोसेस होकर फाइनेंस के पास है और हम उम्मीद करते है कि हफ्ते दस दिन या पन्द्रह दिन में वे सैक्शन होकर फंड्स रिलीज हो जाएंगे और 66 में से बाकी प्रोजेक्टस अंडर प्रोसेस हैं विद द डिपार्टमेंट।

MR. CHAIRMAN: Question No. 65.

*65. *[The questioners (Shri Anatray Devshanker Dave and Shri Chiman Bhai Mehta) were absent. For answers, vide col. 35 infra].*

लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कपार्ट) की स्थापना

*66 **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:†

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् के गठन का उद्देश्य क्या था और इसमें कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस परिषद् के संचालन के लिए आवंटन भी वार्षिक बजट से किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के वित्तीय वर्षों के दौरान इस परिषद् के कुल कितने धन का आवंटन किया गया; और

(ङ) ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान वर्ष वार कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) परिषद का गठन ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि करने के लिए नए प्रौद्योगिकीय आदानों पर ध्यान केन्द्रित करके ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था।

कापार्ट के नियमों तथा विनियमनों के अनुसार, कापार्ट की आम सभा के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।